झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–726 वर्ष 2017

रसना कैबर्ट .... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. सचिव, जिला बोर्ड, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा।
3. अध्यक्ष, जिला बोर्ड, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा।
4. जिला अभियंता, जिला बोर्ड, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा।

.... उत्तरदातागण

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ0) एस0एन0 पाठक

याचिकाकर्त्ता के लिए :– श्री रोहन कश्यप, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं के लिए :– श्री प्रशांत कुमार सिंह, अधिवक्ता

10/27.10.2021 याचिकाकर्ता ने अपने मृत पति के सेवानिवृत्त लाभों के साथ–साथ वेतन के बकाया के भुगतान के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जो दिनांक 31.01.2015 को प्रतिवादी–विभाग से सेवानिवृत्त हुए और बाद में दिनांक 23.12.2015 को उनकी मृत्यु हो गई।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कहा कि हालांकि उत्तरदाताओं ने सेवानिवृत्त लाभों का भुगतान किया है, लेकिन याचिकाकर्ता को ए0सी0पी0 और टाइम बाउंड प्रमोशन के लाभों से वंचित किया गया है।

दूसरी ओर, श्री प्रशांत कुमार सिंह, प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने पूरक प्रति–शपथ पत्र की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया और प्रस्तुत किया कि रिट याचिका में की गई प्रार्थना के अनुसार और इस तथ्य के मद्देनजर भी कि याचिकाकर्ता का पति, जो जिला परिषद का पूर्व कर्मचारी था, दिनांक 31.01.2015 को सेवानिवृत्त हो गया था और बाद में 23.12.2015 को उसकी मृत्यु हो गई, की रू0 3,02,957/– की ग्रेच्युटी की राशि और रू0 1,46,888/– की अवकाश नकदीकरण, कुल रू0 4,48,485/– की राशि याचिकाकर्ता (मृतक कर्मचारी की पत्नी) के पक्ष में उत्तरदाताओं ने जारी की है। उत्तरदाताओं ने चेक संख्या 063462 दिनांक 01.07. 2021 के माध्यम से अप्रैल, 1997 के महीने के लिए 848/– रूपये के केंद्रीय वेतनमान का बकाया भी भुगतान किया है। अब तक वेतन के बकाया का दावा है, वह दिसंबर, 2012 के महीने तक का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, जिसका उल्लेख दिनांक 17.08.2018 के जवाबी हलफनामे के पैरा–5 में किया गया है और अब वेतन का शेष बकाया भी भुगतान किया गया। विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि याचिकाकर्ता को कुछ भी भुगतान किया जाना बाकी नहीं है और पूरी शिकायतों का पहले ही निवारण किया जा चुका है। ए0सी0पी0 के लाभों और समयबद्ध पदोन्नति के संबंध में, विद्वान अधिवक्ता बहुत

स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका में उस आशय की कोई दलील नहीं दी गई है और इसलिए जवाबी हलफनामे में कुछ भी नहीं कहा गया है।

पार्टियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों के मद्देनजर और इस तथ्य के मद्देनजर कि याचिकाकर्ता का पति का कानूनी रूप से हकदार राशि पहले ही याचिकाकर्ता के खाते में जमा कर दिया गया है, इस न्यायालय द्वारा निर्णीत कने के लिए कुछ भी नहीं बचा है।

हालांकि, याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर ए0सी0पी0 और समयबद्ध पदोन्नति के लाभ के लिए एक नया अभ्यावेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र है और इस आदेश की एक प्रति प्राप्त करने के बाद संबंधित उत्तरदाता कानून के अनुसार और उचित सत्यापन के बाद और याचिकाकर्ता को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, प्रचलित नियमों, दिशा–निर्देशों, न्यायिक घोषणाओं के अनुसार छह सप्ताह की अवधि के भीतर एक युक्तियुक्त आदेश देंगे जिसे याचिकाकर्ता को सूचित किया जाएगा।

यह बिना कहे समझा जाए कि यदि याचिकाकर्ता को ए0सी0पी0 के लाभों और समयबद्ध पदोन्नति के लिए हकदार पाया जाता है, तो उसे तीन सप्ताह की अवधि के भीतर दिया जा सकता है।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

((डॉ0) एस0एन0 पाठक, न्याया0)